

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/ /2019/ दिनांक :

विभागीय जांच प्रमाण पत्र

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/वॉल्यूम-III/2018/1303 दिनांक 22.05.2018 के द्वारा क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री रमेश चन्द्र बैरवा, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामगढ, अलवर के विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित होने के आदेश जारी किये गये थे। निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी/एमएस/एफ-2194 /2019/958 दिनांक 30.05.2019 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया जा चुका है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश चन्द्र बैरवा, वरिष्ठ सहायक (से.नि.) के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

sd ✓  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/Val-III/2019/1438

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामगढ, अलवर।
4. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित (सीबी) अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री रमेश चन्द्र बैरवा, वरिष्ठ सहायक(से.नि.) को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

7  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर